



264



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2018 पुनरीक्षण
III/मिगरानी/सीधी/भू.रा/2018/0763

नकछेदी उर्फ बंशपति पुत्र ददनू जैसवाल
विासी ग्राम तितली तह. सिंहावल जिला
सीधी (म.प्र.)

श्री सुकेश माणिक
द्वारा जमा किया 29-1-18
प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 8-2-18 नियत।

..... आवेदक

विरुद्ध

1. छोटकी पत्नी रामजीत जैसवाल
2. रामहित 3. रामजीत 4. रामप्रसाद
5. रामनेत पुत्रगण रामजीत जैसवाल
6. तुनवा 7. लल्ली 8. जुल्ली
9. बूटन पुत्रीगण रामजीत जैसवाल
10. वूटी पत्नी प्रेमलाल जैसवाल
11. दादूलाल 12. जीवनलाल
13. सवाईलाल पुत्रगण प्रेमलाल जैसवाल
14. सुशीला पुत्री प्रेमलाल जैसवाल
15. शिवलखिया पत्नी अमरजीत जैसवाल,
सभी विासीगण ग्राम सवैया तहसील सिंहांबल
16. श्यामलाल पुत्र अमरजीत जैसवाल
निवासी ग्राम लदवद तहसील सिंहावल जिला
सीधी (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर सीधी, जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा प्र.कं. 219/ निग./11-12 में पारित आदेश दिनांक 28.8.17 के विरुद्ध भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/सीधी/भू.रा./2018/763

नकछेदी विरुद्ध छोटकी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 219/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 28-08-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आस्.के. जैन) 5.3.19 सदस्य</p>